

**ग्राम पंचायत मैन्झा, विकास खण्ड भवारना, ज़िला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश के
अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन**

भाग-एक

1. प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत मैन्झा, विकास खण्ड भवारना, जिला काँगड़ा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री जौवन राम	01/04/22 से 31/03/2024

सचिव :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री कानू राम	01.04.2022 से 31.03.2024

तकनीकी सहायक :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमती रीना धीमान	01/04/22 से 31/10/2023
2.	श्रीमती रोमी सूद	01/11/23 से 31/03/2024

ग्राम रोजगार सेवक :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री जोगिंदर सिंह	01/04/22 से 31/03/2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

ग्राम पंचायत मैन्ड्रा के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1.	4.1	रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में बहुत ज्यादा अन्तर पाया जाना	0.79
2.	4.3	ई ग्राम स्वराज (Online) पर लेखों को नियमानुसार संधारण/अद्यतन न करने के कारण हस्तलिखित लेखों के आकड़ों में बहुत ज्यादा अंतर पाया जाना	8.17
3.	6	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	43.15
4.	7	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	1.11
5.	8.1	आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण सरकार को रॉयल्टी के रूप राजस्व की संभावित वित्तीय हानि पाई जाना	0.81
6.	8.2	स्थायी व अस्थायी भण्डार का भंडारण पुस्तिकाओं में इन्द्राज न करना	1.99
7.	9	विभिन्न निर्माण कार्य हेतु निर्धारित खपत मानदण्डों के दृष्टिगत अपेक्षाकृत अधिक भुगतान पाया जाना	0.31
8.	10.3	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाना पाया जाना	0.04

भाग - दो

2. वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत मैन्झा, विकास खण्ड भवारना, जिला काँगड़ा के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री दीपक सिंह पठानिया, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 08.05.2024 से 22.05.2024 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। आय व्यय की विस्तृत जांच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया:-

वित्तीय वर्ष	आय (माह)	व्यय (माह)
2022-23	09/2022	08/2022
2023-24	10/2023	10/2023

अस्वीकरण (Disclaimer): - इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क **₹5600/-** आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला - 171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: 08/2024/मैन्झा दिनांक 22.05.2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 43 दिनांक 22.05.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमानुसार कार्यवाही कर शीघ्र ही शुल्क की अदायगी कर दी जाएगी।

4. वित्तीय स्थिति:-

(क) पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक 13/2024 दिनांक 08.05.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट - "क" और "ख" में दिया गया है:-

1. स्व: स्त्रोत:-

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कालम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कालम 4-5)
1	2	3	4	5	6
2022-23	589911.88	585004.00	1174915.88	568043.00	606872.88
2023-24	606872.88	666597.00	1273469.88	609678.00	663791.88

2. अनुदान:-

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कालम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कालम 4-5)
1	2	3	4	5	6
2022-23	3468096.84	3802438.80	7270535.64	3026479.80	4244055.84
2023-24	4244055.84	2760456.90	7004512.74	2689734.90	4314777.84

$$\text{कुल योग (1+2)} = 663791.88 + 4314777.84 = \mathbf{4978569.72}$$

(ख) बैंक समाधान विवरणी:-

ग्राम पंचायत की दिनांक 31.03.2024 को रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति के अन्तशेष ₹49,78,569.72 तथा बैंक खातों/हस्तगत राशि के अन्तशेष ₹50,57,730.42 से सम्बन्धित विवरणी (परिशिष्ट - "ग") निम्नानुसार है:-

क्र०	अनुदान	बैंक	खाता संख्या	बैंक अंत शेष 31.03.24 को
1	S.F / 5TH SFC	KCCB पालमपुर	20141006615	411764.88

2	S.F / RGSA	CANARA BANK बगौड़ा	4609101002035	255149.00
3	I A Y	CANARA BANK बगौड़ा	4609101002037	0.00
4	SDP / SDRF	CANARA BANK बगौड़ा	4609101002032	328053.00
5	MPLAD	CANARA BANK बगौड़ा	4609101002036	181281.60
6	P/S	CANARA BANK बगौड़ा	4609101002031	87634.85
7	P/S	HDFC पालमपुर	17361450000298	1.67
8	Z/P	CANARA BANK बगौड़ा	4609101002030	46468.85
9	VKVNY	CANARA BANK बगौड़ा	4609101002033	426864.23
10	VKVNY	HDFC पालमपुर	17361450000261	55.00
11	VKVNY/CMRF	HDFC पालमपुर	17361450000330	168.00
12	14TH FC	CANARA BANK बगौड़ा	4609101001708	238814.34
13	15TH FC	CANARA BANK बगौड़ा	4609101002731	3081107.00
	हस्तगत शेष (स्व स्त्रोत)			368.00
	बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2024 का कुल योग :			5057730.42
	दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणी :-			
	पंचायत के बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2024 का अन्तशेष:-			₹50,57,730.42
	रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति के अनुसार पैरा4(क) अन्तशेष :-			₹49,78,569.72
			अंतर :-	₹79,160.70

नोट :- अंतर का कारण पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना

4.1 रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में राशि ₹0.79 लाख का अन्तर पाया जाना:-

रोकड़ बहियों के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों को रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों में दिनांक 31.03.2024 को उक्त पैरा 4 के अनुसार ₹79,160.70 की राशि का बहुत ज्यादा अन्तर पाया गया, जो पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है। पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 07/2024/मैन्ड्रा दिनांक 22.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 42 दिनांक 22.05.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमानुसार रोकड़ बहियों का बैंक शेषों से मिलान कर लिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करना सुनिश्चित किया जाए व वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.2 खाता "क" तथा "ख" को नियमानुसार संधारित न करने बारे:-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई संहिता संख्या 01 से 50 में वर्णित आय पंचायत की अपनी आय के स्रोत माने जायेंगे और ऐसी आय के लिये पंचायत निधि खाता-क खोल जाएगा। इसी तरह नियम 3 में दर्शाई संहिता संख्या 51 से 99 में वर्णित आय सहायता अनुदान विशेष प्रयोजनों के लिये आबंटित निधियाँ और प्राप्त ऋण के लिये खाता-ख खोल जाएगा। इसके अतिरिक्त निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी.सी.एच.-एच.ए. (5)सी (15)-(13) (एल) 5-47005-81 दिनांक 15.02.2012 के अनुसार स्कीम वाईज खाते खोले जाने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अपनी आय (स्व-स्रोत) के खाते को पृथक नहीं रखा गया था बल्कि स्वः-स्रोत में 5वां राज्य वित्त आयोग राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान अनुदान से प्राप्त राशि का आय व्यय सम्मिलित किया गया था। इसके अलावा अंकेक्षण

को उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार निम्नलिखित अनुदानों के एक से अधिक बैंक खाता खोलने व संयुक्त बैंक खाता खोलने संबंधी आपत्ति पाई गई:-

क्र०सं०	शीर्ष	बैंक	खाता सं०
1	सभा निधि व 5वां राज्य वित्त आयोग	KCCB पालमपुर	20141006615
2	सभा निधि / राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान	CANARA BANK बगौड़ा	4609101002035
3	SDP / SDRF	CANARA BANK बगौड़ा	4609101002032
4	पंचायत समिति	CANARA BANK बगौड़ा	4609101002031
		HDFC पालमपुर	17361450000298
5	VKVNY/CMRF	CANARA BANK बगौड़ा	4609101002033
		HDFC पालमपुर	17361450000261
		HDFC पालमपुर	17361450000330

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा बैंक खातों का संचालन वर्णित नियमों एवं निर्देशों के विरुद्ध है जिस कारण स्व:-स्तोत, 5वां वित्त, एस०डी०पी०, वी०के०वी०एन०वाई०, एस०डी०आर०एफ०, पंचायत समिति, वी०के०वी०एन०वाई० व सी०एम०आर०एफ० के आरंभिक शेष व अंत शेष की पुष्टि नहीं की जा सकी। यह पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है। इस अनियमितता के कारण किसी व्यय के दो बार भुगतान होने तथा धन के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता तथा निधि/अनुदान विशेष पर प्राप्त होने वाले ब्याज आदि तथ्यों का भी पूर्ण पता नहीं लगाया जा सकता है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 07/2024/मैन्द्वा दिनांक 22.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 42 दिनांक 22.05.2024 द्वारा उत्तर दिया गया कि भविष्य में नियमानुसार खाता "क" व "ख" को पृथक कर लिया जाएगा और स्कीमवार अलग अलग बैंक खाते खोल लिए जाएंगे व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः इस अनियमितता बारे पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये व खाता "क" व "ख" का नियमानुसार रख-रखाव सुनिश्चित किया जाए और स्व:-स्तोत, 5वां वित्त, एस०डी०पी०, वी०के०वी०एन०वाई०, एस०डी०आर०एफ०, पंचायत समिति, वी०के०वी०एन०वाई० व सी०एम०आर०एफ० आदि अनुदानों का अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत निर्देशानुसार पृथक बैंक खाता खुलवा कर कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.3 ई ग्राम स्वराज (Online) पर लेखों को नियमानुसार संधारण/अद्यतन न करने के कारण हस्तलिखित लेखों के आकड़ों में ₹ 8.17 लाख का अंतर पाया जाना :-

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में E-Panchayat Mission Project (MPP) प्रारम्भ की गई है, जिसका क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 में वर्णित सभी रजिस्ट्रों को कागज रहित प्रणाली के अंतर्गत E-Panchayat में बदलने का कार्य भी पंचायती राज विभाग की प्राथमिकता है।

अंकेक्षण अवधि के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा लेखों का अनुरक्षण हस्तलिखित तथा ई-ग्राम स्वराज (Online)दोनों माध्यम से किया जा रहा था तथा जो लेख ई-ग्राम स्वराज में बनाये जा रहे हैं, बैंक खातों/हस्तलिखित रोकड़ बही से मिलान नहीं खाते। परिणामस्वरूप परस्पर आंकड़ों में ₹8,17,211.52 का बहुत ज्यादा अंतर पाया गया, जिसका विवरण परिशिष्ट - " घ " पर संलग्न एवं निम्नलिखित है:-

(क) ई ग्राम स्वराज में दर्ज वार्षिक प्राप्ति/व्यय व हस्तलिखित रोकड़ बही अनुसार वार्षिक प्राप्ति/व्यय में अंतर का विवरण (Except MNREGA)

क्र०सं०	वित्तीय वर्ष	प्राप्ति			भुगतान		
		ई-ग्राम स्वराज अनुसार राशि (₹)	रोकड़ बही अनुसार राशि (₹)	अंतर	ई-ग्राम स्वराज अनुसार राशि (₹)	रोकड़ बही अनुसार राशि (₹)	अंतर की राशि (₹)
1	2022-23	2623081.22	2698654.00	75572.78	1653313.00	1905734.00	252421.00
2	2023-24	1647089.00	1759722.00	112633.00	1571893.00	1632081.00	60188.00

(ख) ई ग्राम स्वराज में दर्शाये गए बैंक शेष व हस्तगत नगद शेष तथा बैंक पास बुक अनुसार अंतशेष व हस्तगत नगद शेष में अंतर का विवरण (Except MNREGA)

क्र०सं०	वित्तीय वर्ष	ई-ग्राम स्वराज अनुसार बैंक शेष व हस्तगत नगद शेष	बैंक पास बुक अनुसार बैंक शेष व हस्तगत नगद शेष	अंतर
1	2023-24	5873178.94 + 1763 (हस्तगत नगद) = 5874941.94	5057362.42 + 368 (हस्तगत नगद) = 5057730.42	₹ 8,17,211.52

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 07/2024/मैन्ड्रा दिनांक 22.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 42 दिनांक 22.05.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमानुसार रोकड़ बहियों का संधारण ई ग्राम स्वराज पर कर लिया जाएगा व अंतर का मिलान करने उपरांत अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः अन्तर के कारणों बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए तदानुसार कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.4 लेखा खाता/खाता बही तैयार न करना: -

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 7 में लेखा खाता/खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/लेखा खाते तैयार नहीं किए गए थे। अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/ लेखा खाते तैयार न करने कारण वर्तमान अंकेक्षण के दौरान इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी कि किस-किस कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई व किस-किस कार्य पर कितना-कितना व्यय हुआ व कितनी राशि शेष थी।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 07/2024/मैन्ड्रा दिनांक 22.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 42 दिनांक 22.05.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि लेखा खाता बही असंधारित है व भविष्य में नियमानुसार संधारण कर लिया जाएगा। प्रस्तुत उत्तर तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः इस अनियमितता बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 की अवधि की खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार किए जाने सुनिश्चित किए जायें व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.5 बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा प्रारूप -11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा में पारित करना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत का बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार नहीं किया गया था अपितु कार्यवाही रजिस्टर में तैयार एवं पारित किया गया था। सचिव द्वारा निर्धारित प्रारूप -11 पर बजट प्राक्कलन तैयार/ अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन को निर्धारित प्रारूप - 11 के अनुसार तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

5. निवेश

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है, ताकि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना में अंकेक्षण अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के दौरान किसी भी राशि को सावधि जमा में निवेशित नहीं किया गया था। जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष स्व-स्त्रोत में कृत व्यय की तुलना में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 07/2024/मैन्ड्रा दिनांक 22.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 42 दिनांक 22.05.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में निवेश नहीं किया गया था। भविष्य में नियमानुसार सावधि निवेश कर लिया जाएगा व आगामी अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6. अनुदान राशि ₹43.15 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार पंचायत द्वारा विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अध्याचना क्रमांक 13/2024 दिनांक 08.05.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत सूचना जोकि परिशिष्ट - "क" व परिशिष्ट - "ख" पर संलग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹ 43,14,777.84 की राशि उपयोग हेतु

शेष थी जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न अनुदान शीर्षों के अंतर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 07/2024/मैन्डा दिनांक 22.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 42 दिनांक 22.05.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अनुदान राशि का उपयोग कर लिया जाएगा।

अतः शेष अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इसके व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी को स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा तदनुसार कृत अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

7. पंचायत राजस्व संपत्ति कर / गृहकर राशि ₹1.11 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 34(2) के अनुसार पंचायत को देय कोई भी रकम पर्याप्त कारणों के बिना परादेय (outstanding) नहीं रखी जायेगी।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संपत्ति कर / गृहकर मांग व संग्रहण पंजिका का संधारण नहीं किया गया था। पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 01/2024/मैन्डा दिनांक 09.05.2024 की अनुपालना में पत्र क्रमांक 35 दिनांक 09.05.2024 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹50/- व वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹100/- में प्रति वर्ष की दर से गृह कर आरोपित किया था एवं राशि ₹1,11,190.00 के पंचायत राजस्व की वसूली दिनांक 31.03.24 को शेष थी जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट - "ड" पर संलग्न है। संपत्ति कर / गृहकर से सम्बन्धित मांग व संग्रहण पंजिका अपूर्ण थी जिससे कि लम्बित गृह कर तथा वसूली का पूर्ण पता नहीं लगाया जा सका। संपत्ति कर / गृहकर की नियमित वसूली न करने से उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी पंचायत को वंचित होना पड़ा।

वसूली हेतु शेष संपत्ति कर / गृहकर राशि का विवरण :-

अवधि	अथशेष	कुल परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग (कालम 2+5)	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि (कालम 6-7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2022-23	1,12,240.00	700	50.00	35,000.00	1,47,240.00	1,06,650.00	40,590.00
2023-24	40,590.00	709	100.00	70,900.00	1,11,490.00	300.00	1,11,190.00

उपरोक्त तथ्यों एवं आंकड़ों से स्पष्ट है कि पंचायत अपने राजस्व की नियमित उगाही के प्रति गंभीर नहीं है और यदि पंचायत राजस्व की बकाया राजस्व राशि में इसी तरह बढ़ती होती रही तो किसी समय पर इसे वसूल कर पाना असम्भव हो जायेगा।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 07/2024/मैन्ड्रा दिनांक 22.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 42 दिनांक 22.05.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि गृहकर रजिस्टर का संधारण कर लिया जाएगा व गृहकर की शीघ्र वसूली करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः पंचायत राजस्व किन कारणों से परादेय (outstanding) रहा, की तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करते हुये लम्बित करें एवं बकाया पंचायत राजस्व राशियों की शीघ्र वसूली हेतु नियमानुसार संपत्ति कर / गृहकर से सम्बन्धित मांग व संग्रहण पंजिका का संधारण कर प्राथमिकता के आधार पर करते हुये अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाये तथा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8. व्यय

8.1 आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण सरकार को रॉयल्टी के रूप में राशि ₹0.81 लाख के राजस्व की संभावित वित्तीय हानि

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम 81 व 81 ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी सहित करना होगा।

अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा चयनित माह 08/2022 व 10/2023 में रेत, बजरी, पत्थर की खरीद की गयी थी परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ता के खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि की आपूर्ति के सम्बन्ध में उक्त ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गए। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं को **परिशिष्ट - " च "** पर संलग्न विवरणानुसार **₹ 81,039.00** का संभावित अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 07/2024/मैन्डा दिनांक 22.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 42 दिनांक 22.05.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि शीघ्र ही नियमानुसार आपूर्तिकर्ता से वसूली कर ली जाएगी।

अतः राशि **₹81,039.00** के अनियमित भुगतान को या तो नियमानुसार समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा इस संबंध में संबंधित विभाग से संपर्क/पत्राचार कर तदनुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये अन्यथा अंकेक्षण को दिये आश्वासनानुसार इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके हि. प्र. सरकार के आय लेखा शीर्षक "0853-Non ferrous mining and Metallurgical Industries, 102-Mineral Concession fees and Royalties, 81-Other receipts" में जमा करवाया जाए। इसके अतिरिक्त यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अंकेक्षण द्वारा केवल चयनित माह के भुगतानों को रॉयल्टी के लिये जांचा गया है। शेष अवधि में हुए ऐसे भुगतानों की जांच अपने स्तर पर करके वस्तु स्थिति एवं नियमानुसार देय रॉयल्टी की वसूली करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.2 स्थायी व अस्थायी भण्डार ₹1.99 लाख का भंडारण पुस्तिकाओं में इन्द्राज न करना

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1) (ए, बी, सी व डी) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय की गए भंडार का उसकी स्थायी व अस्थायी प्रकृति के अनुरूप प्रारूप 25 से 28 में लेखांकन किया जाना है।

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह 08/2022 व 10/2023 के वाउचरों के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा **₹1,98,868.00** के भण्डार को भंडार पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया था, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट " छ "** में दिया गया है। त्रुटिपूर्ण लेखांकन प्रक्रिया के चलते किसी भी स्तर पर सामग्री एवं धन के रिसन (Leakage) व दुरुपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 07/2024/मैन्झा दिनांक 22.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 42 दिनांक 22.05.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया समय के अभाव के कारण स्टॉक/स्टोर का स्टॉक रजिस्टर में लेखांकन नहीं किया गया है व इसे लेखांकित कर आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा। प्रस्तुत प्रतिउत्तर तथ्यरहित होने के कारण तर्कसंगत नहीं है।

अतः अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत क्रय किये गये प्रत्येक सामान का नियमानुसार इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित किया जाए व भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृत्ति को रोका जाये तथा कृत सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

8.3 बिल / वाउचरों के भुगतान हेतु पारित आदेश सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूरा न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 49(1) में पंचायत द्वारा भुगतान आदेश जारी करने सम्बन्धी औपचारिकताएं प्रावधित हैं।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के चयनित माह 08/2022 व 10/2023 के दौरान बिलों के भुगतान हेतु उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा नहीं किया गया था जिनमें से चयनित माह के व्यय का विवरण निम्न दिया गया है।

क्र० स०	वर्ष	चयनित माह	चयनित माह में पारित बिलों की कुल राशि
1.	2022-23	08/2022	8,68,408.00
2.	2023-24	10/2023	7,38,087.00

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 07/2024/मैन्झा दिनांक 22.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 42 दिनांक 22.05.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस त्रुटि को भविष्य में नहीं दोहराया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत समस्त भुगतान बिलों की अदायगी हेतु उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा करना सुनिश्चित किया जाए तथा सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

9. विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु निर्धारित खपत मानदण्डों के दृष्टिगत राशि ₹0.31 लाख का अपेक्षाकृत अधिक भुगतान बारे

9.1 निर्माण कार्य अपबर्धन कुहल भूपिंदर की ज़मीन से नीचे की ओर तक राशि ₹ 0.03 लाख का अपेक्षाकृत अधिक/अनियमित भुगतान बारे :-

निर्माण कार्य अपबर्धन कुहल भूपिंदर की ज़मीन से नीचे की ओर का संबंधित प्राक्कलन व माप पुस्तिका के अंकेक्षण पर पाया गया कि माप पुस्तिका में निर्माण सामग्री रेत एवं बजरी की निष्पादित मात्रा का उपयोग निर्धारित मापदंडों के अनुसार निष्पादन योग्य मात्रा से अधिक दर्शाया गया था, जिसके कारण निर्माण सामग्री रेत के क्रय हेतु राशि ₹2590.00 का अधिक भुगतान किया गया था, जिसका विवरण परिशिष्ट - " ज " पर संलग्न एवं निम्नलिखित है:-

कार्य का नाम :			निर्माण कार्य अपबर्धन कुहल भूपिंदर की ज़मीन से नीचे की ओर				
कार्य परिसंपत्ति संख्या:			1304002088/IC/8000048414				
शीर्ष :			मनरेगा				
स्वीकृत राशि:			₹1,37,890.00				
कुल व्यय राशि :			₹1,11,907.00				
एम० बी० संख्या / पृ० सं०			12499 पृ०सं० 21, 22, 41 व 75				
बिल संख्या/दिनांक			019/ 20.04.2023 (रेत) 020 / 20.04.2023 (बजरी)				
आपूर्तिकर्ता			अर्जुन चंद				
वाउचर संख्या/दिनांक			Nil / 25.10.2023				
क्र०	सामग्री का नाम	क्रय की गई सामग्री	माप पुस्तिका अनुसार निष्पादित सामग्री की मात्रा	निर्धारित मापदंडों के अनुसार निष्पादन योग्य सामग्री की मात्रा	अन्तर (2-4)	दर	राशि (₹)
	1	2	3	4	5	6	7
1.	रेत	300 cft	300 cft	286.27 cft	13.73 cft	₹45.00	₹617.85
2.	बजरी	600 cft	600 cft	542 cft	58 cft	₹34.00	₹1972.00
कुल योग (Round Off)							₹ 2590.00

PL CC (1:3:6) $17.25 \text{ m}^3 = 17.25 \times 0.47 \times 35.31$ (Sand Factor) = **286.27 cft**

PL CC (1:3:6) $17.25 \text{ m}^3 = 17.25 \times 0.89 \times 35.31$ (Bajri Factor) = **542 cft**

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024/मैन्डा दिनांक 21.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 39 दिनांक 22.05.2024 द्वारा अंकेक्षण को बताया गया कि इस प्रकार की त्रुटि को भविष्य में नहीं दोहराया जाएगा व नियमानुसार कार्यवाही कर अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत उक्त निर्माण कार्य में पाई गई त्रुटि व किये गए अधिक भुगतान को आगामी उच्च तकनीकी अधिकारी की जांच एवं सत्यापना सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा वस्तुस्थिति, नियमानुसार देय उक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9.2 निर्माण कार्य सड़क कुशमा देवी की ज़मीन से रवि की ज़मीन की ओर तक में राशि ₹0.29 लाख का अपेक्षाकृत अधिक/अनियमित भुगतान: -

निर्माण कार्य सड़क कुशमा देवी की ज़मीन से रवि की ज़मीन की ओर का संबंधित प्राक्कलन व माप पुस्तिका के अंकेक्षण पर पाया गया कि माप पुस्तिका में निर्माण सामग्री रेत एवं बजरी की निष्पादित मात्रा को निर्धारित मापदंडों के अनुसार निष्पादन योग्य मात्रा से अधिक दर्शाया गया था, जिसके कारण निर्माण सामग्री रेत एवं बजरी के क्रय हेतु राशि **₹28,634.50** का अधिक भुगतान किया गया था, जिसका विवरण परिशिष्ट - " झ " पर संलग्न एवं निम्नलिखित है:-

कार्य का नाम :	निर्माण कार्य सड़क कुशमा देवी की ज़मीन से रवि की ज़मीन की ओर
कार्य परिसंपत्ति संख्या:	1304002088/RC/8000138783
शीर्ष :	मनरेगा
स्वीकृत राशि:	₹2,99,870.00
कुल व्यय राशि :	₹2,34,940.00
एम० बी० संख्या / पृ० सं०	12431 पृ०सं०4,36,38,40,49 व 54
बिल संख्या/दिनांक	091 / 23.04.2022 (रेत) 092 / 23.04.2022 (बजरी)

आपूर्तिकर्ता			अर्जुन चंद				
वाउचर संख्या/दिनांक			Nil / 22.08.2022				
क्र०	सामग्री का नाम	क्रय की गयी सामग्री	माप पुस्तिका अनुसार निष्पादित सामग्री की मात्रा	निर्धारित मापदंडों के अनुसार निष्पादन योग्य सामग्री की मात्रा	अन्तर (2-4)	दर	राशि (₹)
	1	2	3	4	5	6	7
1.	रेत	600 cft	373 cft	348.50 cft	251.50 cft	₹43.00	₹10,814.50
2.	बजरी	1200 cft	740 cft	660 cft	540 cft	₹33.00	₹17,820.00
कुल योग							₹ 28,634.50

Total PL CC (1:3:6) area = $6 \text{ m}^3 + 6 \text{ m}^3 + 9 \text{ m}^3 = 21 \text{ m}^3$

PL CC (1:3:6) $21 \text{ m}^3 = 21 \times 0.47 \times 35.31$ (Sand Factor) = **348.50 cft**

PL CC (1:3:6) $21 \text{ m}^3 = 21 \times 0.89 \times 35.31$ (Bajri Factor) = **660 cft**

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024/मैन्ड्रा दिनांक 21.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 40 दिनांक 22.05.2024 द्वारा अंकेक्षण को बताया गया कि इस प्रकार की त्रुटि को भविष्य में नहीं दोहराया जाएगा व नियमानुसार कार्यवाही कर अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत उक्त निर्माण कार्य में पाई गई त्रुटि व किये गए अधिक भुगतान को आगामी उच्च तकनीकी अधिकारी की जांच एवं सत्यापना सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा वस्तुस्थिति, नियमानुसार देय उक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10. विविध अनियमितताएं :-

10.1 हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 104(2)(1) व 105 के अनुसार निर्माण कार्यों की नमूना जाँच, माप पुस्तिका में स सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के अंतर्गत करवाए गए कार्यों के मूल्यांकनों की माप पुस्तिकाएं तकनीकी सहायक द्वारा लिखी गई थीं परन्तु माप पुस्तिका में नियमानुसार किसी भी सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों द्वारा प्रविष्टियों का सत्यापन व परीक्षण जांच नहीं किया गया था, जबकि नियम 101 (ग) के अनुसार तकनीकी सहायकों की माप पुस्तिकाओं को कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करना अपेक्षित है, जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही थी, जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

10.2 विवाह पंजीकरण शुल्क ₹0.01 लाख की वसूली बारे :-

संयुक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि०प्र० के पत्र संख्या: PCH-HA(1)8/2013-Marriage-8017-8106 दिनांक 28.10.16 व सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या: SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200/- प्रति पंजीकरण तथा विलम्ब के लिए ₹400/- अर्थात् दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में **₹1400.00** की वसूली नहीं की गई थी, जिस बारे अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 03/2024/मैन्डा दिनांक 18.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 38 दिनांक 21.05.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि वर्तमान अंकेक्षण के दौरान वसूली कर ली गई है व प्राप्त राशि को सभा निधि खाता बैंक संख्या 20141006615 में जमा करवा दिया गया है जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है:-

क्र०सं०	आवेदनकर्ता	विवाह की तिथि	पंजीकरण तिथि	रसीद संख्या	दिनांक	वसूली गई राशि
1	अश्वनी कुमार	23-06-2022	19-07-2022	484622	20.05.2024	₹ 200.00
2	जिमी चौधरी	08-07-2022	01-08-2022	484623	20.05.2024	₹ 200.00
3	पंकज	03-07-2022	01-08-2022	484624	20.05.2024	₹ 200.00
4	रचित डोगरा	27-11-2023	15-12-2023	484625	20.05.2024	₹ 200.00

5	सिंदू कुमार	23-02-2023	07-03-2023	484626	20.05.2024	₹ 200.00
6	विकास कपूर	26-10-2023	16-12-2023	484627	20.05.2024	₹ 200.00
7	अनिल कुमार	26-10-2023	16-12-2023	484628	20.05.2024	₹ 200.00
					कुल योग	₹ 1,400.00

अंकेक्षण के दौरान उक्त वसूली से संबंधित रसीदों एवं बैंक पास बुक की पुष्टि कर ली गई। अतः परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि न दोहराई जाये और विवाह पंजीकरण के समय ही शुल्क वसूली सुनिश्चित की जाये।

10.3 विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि ₹0.04 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारे :-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या: SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200/- प्रति पंजीकरण तथा विलम्ब के लिए ₹400/- अर्थात् दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है, जिसे समय समय पर वसूल करने के उपरांत विवाह पंजीकरण अधिनियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या "0235-00-800-03" में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई कुल राशि ₹ 3800.00 को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था, अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 03/2024/मैन्ड्रा दिनांक 18.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 38 दिनांक 21.05.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में उक्त राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया व जल्द ही नियमानुसार प्राप्त विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा।

अतः प्राप्त विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अथवा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा करवा कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये व भविष्य में नियमित रूप से प्राप्त विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

11. नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेख का अनुरक्षण न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियमावली, 1997 के नियम 34 के अंतर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्ट्रों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, लेखांकन प्रक्रिया के अधूरे एवं त्रुटिपूर्ण होने के परिणामस्वरूप किसी भी स्तर पर सामग्री एवं धन के दुरुपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र०	रजिस्टर/अभिलेख	संदर्भित नियम	फॉर्म संख्या
1.	विनिधानों के लिए रजिस्टर	12	01
2.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	15 (1)	----
3.	वर्गीकृत सार	29 (4)	8
4.	अस्थाई अग्रीमों का रजिस्टर	30	09
5.	तकनीकी जांच पड़तालें और तकनीकी मंजूरी आंकलन का रजिस्टर	95(1)	31
6.	बजट प्राक्कलन	37	11
7.	अनुदान रजिस्टर	61 (1)	21
8.	निर्माण कार्य रजिस्टर	103	-----

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 02/2024/मैन्झा दिनांक 13.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 36 दिनांक 13.05.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त सभी रजिस्ट्रों को भविष्य में संधारित कर लिया जाएगा व इस विषय पर कार्यवाही करके आगामी अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत प्राथमिकता के आधार पर सभी रजिस्ट्रों को नियमानुसार संधारित करना सुनिश्चित करके कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया था, जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 07/2024/मैन्ड्रा दिनांक 22.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 42 दिनांक 22.05.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में नियमित रूप से भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर तथ्य रहित होने के कारण तर्कसंगत नहीं है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये सामान के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

अतः अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

14. लघु-आपत्ति विवरणिका :- लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

15. निष्कर्ष :- हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों एवं समय-समय पर जारी निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही जिस कारण से लेखों के रख-रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।

7 AUG 2024

का०/प्रति०

4075 - 4079

(श्रीराम सुनील)

सहायक निदेशक,

हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग,

शिमला-171009

पृष्ठांकन संख्या: फिन(एल०ए०)एच(पंच)(xv)(2)414/2024-खण्ड-1 दिनांक, शिमला-09,
प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ/आवस्था कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

- 1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि०प्र०, कुसुम्पटी शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
- 2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि०प्र० विधानसभा शिमला-4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
- 3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि०प्र०।
- 4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड भवारना, जिला काँगड़ा (हि०प्र०)।
- 5 पंजीकृत सचिव, ग्राम पंचायत मैन्झा, विकास खण्ड भवारना, जिला काँगड़ा (हि०प्र०) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

7 AUG 2024

का०/प्रति०

(श्रीराम सुनील)

सहायक निदेशक,

हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग,

शिमला-171009

(परिशिष्ट " क " के संख्या " ५(क) " के संदर्भ में)

ANNEXURE -1

FINANCIAL POSITION OF GP MENUHA FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

1 OWN SOURCES

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	589911.88	585004.00	1174915.88	568043.00	606872.88
2023-24	606872.88	666597.00	1273469.88	609678.00	663791.88

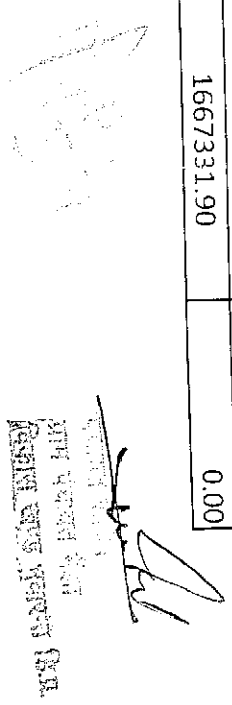
2 GRANTS-IN-AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	3468096.84	3802438.80	7270535.64	3026479.80	4244055.84
2023-24	4244055.84	2760456.90	7004512.74	2689734.90	4314777.84

ANNEXURE-2

FINANCIAL POSITION OF GRANTS- IN-AID OF GP MENUJA FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

SR.NO	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	IAY	2022-23	93.00	22.00	115.00	0.00	115.00
		2023-24	115.00	2.00	117.00	117.00	0.00
2	SDP / SDRF	2022-23	278.00	8.00	286.00	0.00	286.00
		2023-24	286.00	364579.00	364865.00	36812.00	328053.00
3	MPLAD	2022-23	171873.60	5046.00	176919.60	0.00	176919.60
		2023-24	176919.60	5162.00	182081.60	0.00	182081.60
4	P/S	2022-23	82699.82	2442.00	85141.82	236.00	84905.82
		2023-24	84905.82	2496.00	87401.82	0.00	87401.82
5	Z/P	2022-23	43859.85	1286.00	45145.85	0.00	45145.85
		2023-24	45145.85	1323.00	46468.85	0.00	46468.85
6	VKVNY/CMRF	2022-23	449890.23	23704.00	473594.23	46083.00	427511.23
		2023-24	427511.23	12261.00	439772.23	12815.00	426957.23
7	14TH FC	2022-23	294782.34	9405.00	304187.34	72183.00	232004.34
		2023-24	232004.34	6802.00	238806.34	0.00	238806.34
8	15TH FC	2022-23	2424620.00	2071737.00	4496357.00	1219189.00	3277168.00
		2023-24	3277168.00	700500.00	3977668.00	972659.00	3005009.00
9	MNREGA	2022-23	0.00	1688788.80	1688788.80	1688788.80	0.00
		2023-24	0.00	1667331.90	1667331.90	1667331.90	0.00



आपका आभार है
आपका आभार है

(परिशिष्ट " 5A " पैरा संख्या " 4.1 " के संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत मैन्झा, वि०ख० भवारना, ज़िला काँगड़ा . हि०प्र०- 176061

ग्राम पंचायत मैन्झा के दिनांक 31.03.2024 को बैंक शेष व रोकड़ बही में अंतर :-

क्र०सं०	शीर्ष	बैंक	खाता सं०	बैंक अंत शेष 31.03.2024	रोकड़ बही अंत शेष 31.03.2024
1	S.F / 5TH SFC	KCCB पालमपुर	20141006615	411764.88	663791.88
2	S.F / RGSA	CANARA BANK बगौड़ा	4609101002035	255149.00	
3	I A Y	CANARA BANK बगौड़ा	4609101002037	0.00	0.00
4	SDP / SDRF	CANARA BANK बगौड़ा	4609101002032	328053.00	328053.00
5	MPLAD	CANARA BANK बगौड़ा	4609101002036	181281.60	182081.60
6	P/S	CANARA BANK बगौड़ा	4609101002031	87634.85	87401.82
7	P/S	HDFC पालमपुर	17361450000298	1.67	
8	Z/P	CANARA BANK बगौड़ा	4609101002030	46468.85	46468.85
9	VKVNY	CANARA BANK बगौड़ा	4609101002033	426864.23	426957.23
10	VKVNY	HDFC पालमपुर	17361450000261	55.00	
11	VKVNY/CMRF	HDFC पालमपुर	17361450000330	168.00	
12	14TH FC	CANARA BANK बगौड़ा	4609101001708	238814.34	238806.34
13	15TH FC	CANARA BANK बगौड़ा	4609101002731	3081107.00	3005009.00
			जोड़ (क)	5057362.42	4978569.72
			हस्तगत शेष (ख)	368.00	0.00
			कुल जोड़ (क + ख)	5057730.42	4978569.72

दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणी :-		
पंचायत के बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2024 का अन्तशेष:-		5057730.42
रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति के अनुसार पैरा- 4(क) अन्तशेष :-		4978569.72
अंतर :-		79160.70

(परिशिष्ट "घ" , पैरा संख्या " 4.3 " के संदर्भ में)

ग्राम पंचायत मैजा द्वारा ई-ग्राम स्वराज में रोकड़ बही का अनियमित अद्यतन के कारण ई-ग्राम स्वराज में संधारित लेखों तथा हस्तलिखित लेखों के आंकड़ों में ₹ 8.17 लाख का अंतर

(क) चयनित माह के दौरान ई ग्राम स्वराज में दर्ज मासिक प्राप्ति/व्यय व हस्तलिखित रोकड़ बही अनुसार मासिक प्राप्ति/व्यय में अंतर (Except MNREGA)

क्र.सं.	चयनित माह	प्राप्ति			भुगतान		
		ई-ग्राम स्वराज अनुसार	हस्तलिखित रोकड़ बही अनुसार	अंतर	ई-ग्राम स्वराज अनुसार	हस्तलिखित रोकड़ बही	अंतर
1	अगस्त 2022	₹ 2,77,491.00	₹ 2,73,177.00	₹ 4,314.00	₹ 4,27,656.00	₹ 4,05,458.00	₹ 22,198.00
2	सितंबर 2022	₹ 1,35,206.00	₹ 1,71,508.00	₹ 36,302.00	₹ 84,470.00	₹ 91,437.00	₹ 6,967.00
3	अक्तूबर 2023	₹ 57,136.00	₹ 57,136.00	₹ 0.00	₹ 0.00	₹ 11.00	₹ 11.00

(ख) ई ग्राम स्वराज में दर्ज वार्षिक प्राप्ति/व्यय व हस्तलिखित रोकड़ बही अनुसार वार्षिक प्राप्ति/व्यय में अंतर का विवरण (Except MNREGA)

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	प्राप्ति			भुगतान		
		ई-ग्राम स्वराज अनुसार	रोकड़ बही अनुसार	अंतर	ई-ग्राम स्वराज अनुसार	रोकड़ बही अनुसार	अंतर
1	2022-23	₹ 26,23,081.22	₹ 26,98,654.00	₹ 75,572.78	₹ 16,53,313.00	₹ 19,05,734.00	₹ 2,52,421.00
2	2023-24	₹ 16,47,089.00	₹ 17,59,722.00	₹ 1,12,633.00	₹ 15,71,893.00	₹ 16,32,081.00	₹ 60,188.00

(ग) ई ग्राम स्वराज में दर्शाये गए बैंक शेष व हस्तगत नगद शेष तथा बैंक पास बुक अनुसार अंतशेष व हस्तगत नगद शेष में अंतर का विवरण (Except MNREGA)

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	ई-ग्राम स्वराज अनुसार बैंक शेष व हस्तगत नगद शेष	बैंक पास बुक अनुसार बैंक शेष व हस्तगत नगद शेष	अंतर
1	2023-24	5873178.94 + 1763 (हस्तगत नगद) = 5874941.94	5057362.42 + 368 (हस्तगत नगद) = 5057730.42	₹ 8,17,211.52

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
 नाम: *(Handwritten name)*
 पद: *(Handwritten post)*

(परिशिष्ट " ड " पैरा संख्या " 7 " के संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत मैन्झा, वि०ख० भवारना, ज़िला काँगड़ा हि०प्र० - 176061

दिनांक 31-03-2024 को ग्राम पंचायत में वसूली हेतु शेष सम्पत्ति कर/ गृहकर:-

पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्या 2022-23 में 700 परिवारों का ₹50/- तथा 2023-24 में 709 परिवारों का ₹100/- प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर से:-

वित्तीय वर्ष	अथशेष	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2022-23	₹ 1,12,240.00	700	₹ 50.00	₹ 35,000.00	₹ 1,47,240.00	₹ 1,06,650.00	₹ 40,590.00
2023-24	₹ 40,590.00	709	₹ 100.00	₹ 70,900.00	₹ 1,11,490.00	₹ 300.00	₹ 1,11,190.00
नोट:- दिनांक 31.03.2024 को बकाया गृहकर की राशि ₹ 1,11,190/- है।							

KANU RAM
ग्राम पंचायत
मैन्झा, वि०ख० भवारना

ग्राम पंचायत मैन्ड्रा द्वारा आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री बिलों के साथ टांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) सुनिश्चित न करने के कारण सरकार को राशी ₹0.81 लाख के राजस्व की सम्भावित वित्तीय हानि का विवरण

क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा0 सं० / दिनांक	बिल सं० / दिनांक	मद का नाम	Qty (Feet)	Qty (Cum)	Determining Factor	Qty MT	Royalty (Per MT)	Due Royalty
मनरेगा										
1	अर्जुन चंद	NIL/22.08.22	081/23.04.22	क्रेशर	500	14.16	1.52	21.52	80	1721.60
2	अर्जुन चंद	NIL/22.08.22	082/23.04.22	रेत	300	8.50	1.62	13.77	80	1101.60
3	अर्जुन चंद	NIL/22.08.22	083/23.04.22	क्रेशर	500	14.16	1.52	21.52	80	1721.60
4	अर्जुन चंद	NIL/22.08.22	084/23.04.22	रेत	300	8.50	1.62	13.77	80	1101.60
5	अर्जुन चंद	NIL/22.08.22	085/23.04.22	रेत	300	8.50	1.62	13.77	80	1101.60
6	अर्जुन चंद	NIL/22.08.22	086/23.04.22	क्रेशर	500	14.16	1.52	21.52	80	1721.60
7	अर्जुन चंद	NIL/22.08.22	087/23.04.22	रेत	350	9.91	1.62	16.05	80	1284.00
8	अर्जुन चंद	NIL/22.08.22	088/23.04.22	क्रेशर	500	14.16	1.52	21.52	80	1721.60
9	अर्जुन चंद	NIL/22.08.22	079/23.04.22	रेत	550	15.58	1.62	25.24	80	2019.20
10	अर्जुन चंद	NIL/22.08.22	080/23.04.22	क्रेशर	750	21.24	1.52	32.28	80	2582.40
11	अर्जुन चंद	NIL/22.08.22	095/23.04.22	पत्थर (गटका)	200	5.66	2.24	12.68	80	1014.40
12	अर्जुन चंद	NIL/22.08.22	089/23.04.22	रेत	100	2.83	1.62	4.58	80	366.40
13	अर्जुन चंद	NIL/22.08.22	090/23.04.22	क्रेशर	100	2.83	1.52	4.30	80	344.00
14	अर्जुन चंद	NIL/22.08.22	093/23.04.22	रेत	400	11.33	1.62	18.35	80	1468.00
15	अर्जुन चंद	NIL/22.08.22	094/23.04.22	क्रेशर	600	16.99	1.52	25.00	80	2000.00
16	अर्जुन चंद	NIL/22.08.22	091/ 23.04.22	रेत	600	16.99	1.62	27.52	80	2201.60
17	अर्जुन चंद	NIL/22.08.22	092/23.04.22	क्रेशर	1200	33.98	1.52	51.65	80	4132.00
18	अर्जुन चंद	NIL/25.10.23	028/20.04.23	रेत	200	5.66	1.62	9.17	80	733.60
19	अर्जुन चंद	NIL/25.10.23	029/20.04.23	क्रेशर	400	11.33	1.52	17.22	80	1377.60
20	अर्जुन चंद	NIL/25.10.23	025/20.04.23	रेत	150	4.25	1.62	6.89	80	551.20
21	अर्जुन चंद	NIL/25.10.23	026/20.04.23	क्रेशर	280	7.93	1.52	12.05	80	964.00
22	अर्जुन चंद	NIL/25.10.23	013/20.04.23	रेत	300	8.50	1.62	13.77	80	1101.60
23	अर्जुन चंद	NIL/25.10.23	014/20.04.23	क्रेशर	600	16.99	1.52	25.82	80	2065.60
24	अर्जुन चंद	NIL/25.10.23	010/20.04.23	रेत	300	8.50	1.62	13.77	80	1101.60
25	अर्जुन चंद	NIL/25.10.23	011/20.04.23	क्रेशर	600	16.99	1.52	25.82	80	2065.60
26	अर्जुन चंद	NIL/25.10.23	019/20.04.23	रेत	300	8.50	1.62	13.77	80	1101.60
27	अर्जुन चंद	NIL/25.10.23	020/20.04.23	क्रेशर	600	16.99	1.52	25.82	80	2065.60
28	अर्जुन चंद	NIL/25.10.23	016/20.04.23	रेत	200	5.66	1.62	9.17	80	733.60
29	अर्जुन चंद	NIL/25.10.23	017/20.04.23	क्रेशर	400	11.33	1.52	17.22	80	1377.60
30	अर्जुन चंद	NIL/18.10.23	004/20.04.23	रेत	175	4.96	1.62	8.04	80	643.20
31	अर्जुन चंद	NIL/18.10.23	005/20.04.23	क्रेशर	350	9.91	1.52	15.06	80	1204.80
32	अर्जुन चंद	NIL/18.10.23	007/20.04.23	रेत	250	7.08	1.62	11.47	80	917.60
33	अर्जुन चंद	NIL/18.10.23	008/20.04.23	क्रेशर	500	14.16	1.52	21.52	80	1721.60
34	अर्जुन चंद	NIL/18.10.23	001/20.04.23	रेत	200	5.66	1.62	9.17	80	733.60
35	अर्जुन चंद	NIL/18.10.23	002/20.04.23	क्रेशर	400	11.33	1.52	17.22	80	1377.60
36	अर्जुन चंद	NIL/25.10.23	157/25.04.23	रेत	800	22.66	1.62	36.71	80	2936.80
37	अर्जुन चंद	NIL/25.10.23	158/25.04.23	क्रेशर	800	22.66	1.52	34.44	80	2755.20
38	अर्जुन चंद	NIL/25.10.23	159/25.04.23	पत्थर (गटका)	200	5.66	2.24	12.68	80	1014.40
39	अर्जुन चंद	NIL/25.10.23	031/20.04.23	रेत	200	5.66	1.62	9.17	80	733.60
40	अर्जुन चंद	NIL/25.10.23	032/20.04.23	क्रेशर	400	11.33	1.52	17.22	80	1377.60
41	अर्जुन चंद	NIL/25.10.23	022/20.04.23	रेत	200	5.66	1.62	9.17	80	733.60
42	अर्जुन चंद	NIL/25.10.23	023/20.04.23	क्रेशर	375	10.62	1.52	16.14	80	1291.20
15th FC										
43	अर्जुन चंद	17/25.08.22	125/10.08.22	क्रेशर	600	16.99	1.52	25.82	80	2065.60
44	अर्जुन चंद	17/25.08.22	125/10.08.22	रेत	400	11.33	1.62	18.35	80	1468.00
45	अर्जुन चंद	17/25.08.22	125/10.08.22	पत्थर (गटका)	200	5.66	2.24	12.68	80	1014.40
Total										64831.20
Panelity @ 25 %										16207.80
कुल राशी										81039.00

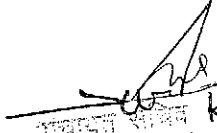
KAMU RAM

विभागाध्यक्ष, राजस्व विभाग

परिशिष्ट " दृ " , पैरा संख्या " 8.2 " के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत मैन्ड्रा द्वारा क्रय किये गये सामग्री का विवरण जिसका स्टॉक रजिस्टर में लेखांकन नहीं किया गया है

15th FC							
क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा०सं०/दिनांक	बिल सं०/दिनांक	मद का नाम	मात्रा	दर	भुगतान की गई राशी
1	सुरिंदर पाल सिंह	12/04.08.22	233/01.08.22	Sea Saw Seated	1	₹ 12,499.00	₹ 12,499.00
2				Two seated swing with Chain type	1	₹ 23,800.00	₹ 23,800.00
3				Animal Type Dustbin	1	₹ 6,990.00	₹ 6,990.00
4	सुरिंदर पाल सिंह	12/04.08.22	235/01.08.22	Deer Set	1	₹ 28,990.00	₹ 28,990.00
5				3 in 1 Twister	1	₹ 18,590.00	₹ 18,590.00
6				Slide Fiber	1	₹ 25,800.00	₹ 25,800.00
7	सुरिंदर पाल सिंह	12/04.08.22	234/01.08.22	Marry Go Round	1	₹ 22,899.00	₹ 22,899.00
8				Air Walker	1	₹ 15,500.00	₹ 15,500.00
9				Leg Press Double	1	₹ 25,800.00	₹ 25,800.00
10	सुरिंदर पाल सिंह	12/04.08.22	237/01.08.22	Bicycle	1	₹ 18,000.00	₹ 18,000.00
कुल योग							₹ 1,98,868.00


 ग्राम पंचायत मैन्ड्रा
 विकास, जालंधर जिला
 KANU RAM

निर्माण कार्य के लिये सामग्री खरीद हेतु राशि ₹ 0.03 लाख के अनियमित भुगतान का विवरण

कार्य का नाम :	निर्माण कार्य अपवर्धन कुहल भूपिंदर की ज़मीन से नीचे की ओर						
कार्य परिसंपत्ति संख्या:	1304002088/IC/8000048414						
शीर्ष :	मनरेगा						
स्वीकृत राशि:	₹1,37,890.00						
कुल व्यय राशि :	₹1,11,907.00						
एम० बी० संख्या / पृ० सं०	12499 पृ० सं० 21, 22, 41 व 75						
बिल संख्या/दिनांक	019/ 20.04.2023 (रेत) 020 / 20.04.2023 (बजरी)						
आपूर्तिकर्ता	अर्जुन चंद						
वाउचर संख्या/दिनांक	Nil / 25.10.2023						
क्र०	सामग्री का नाम	क्रय की गयी सामग्री	माप पुस्तिका अनुसार निष्पादित सामग्री की मात्रा	वास्तविक निष्पादित सामग्री की मात्रा	अन्तर (2-4)	दर	राशी
	1	2	3	4	5	6	7
1.	रेत	300 cft	300 cft	286.27 cft	13.73 cft	₹45.00	₹617.85
2.	बजरी	600 cft	600 cft	542 cft	58 cft	₹34.00	₹1972.00
कुल योग (Round Off)							₹ 2590.00

$$PL\ CC\ (1:3:6)\ 17.25\ m^3 = 17.25 \times 0.47 \times 35.31\ (Sand\ Factor) = 286.27\ cft$$

$$PL\ CC\ (1:3:6)\ 17.25\ m^3 = 17.25 \times 0.89 \times 35.31\ (Bajri\ Factor) = 542\ cft$$

TECHNICAL ASSISTANT,
GRAM PANCHAYAT, Manjha....
(B.D.O.) BHAWARNA

पंचायत प्रमुख
ग्राम पंचायत, वि.प्र.
वि.प्र. खण्ड भवारना वि.प्र.

निर्माण कार्य के लिये सामग्री खरीद हेतु राशि ₹ 0.29 लाख के अनियमित भुगतान का विवरण

कार्य का नाम :	निर्माण कार्य सड़क कुशमा देवी की ज़मीन से रवि की ज़मीन की ओर						
कार्य परिसंपत्ति संख्या:	1304002088/RC/8000138783						
शीर्ष :	मनरेगा						
स्वीकृत राशि:	₹2,99,870.00						
कुल व्यय राशि :	₹2,34,940.00						
एम० बी० संख्या / पृ० सं०	12431 पृ० सं० 4,36,38,40,49 व 54						
बिल संख्या/दिनांक	091 / 23.04.2022 (रेत) 092 / 23.04.2022 (बजरी)						
आपूर्तिकर्ता	अर्जुन चंद						
वाउचर संख्या/दिनांक	Nil / 22.08.2022						
क्र०	सामग्री का नाम	क्रय की गयी सामग्री	माप पुस्तिका अनुसार निष्पादित सामग्री की मात्रा	वास्तविक निष्पादित सामग्री की मात्रा	अन्तर (2-4)	दर	राशी
	1	2	3	4	5	6	7
1.	रेत	600 cft	373 cft	348.50 cft	251.50 cft	₹43.00	₹10,814.50
2.	बजरी	1200 cft	740 cft	660 cft	540 cft	₹33.00	₹17,820.00
कुल योग							₹ 28,634.50

Page No 38, Item No. 4

PL CC (1:3:6) $1 \times 20 \times 3 \times 0.10 = 6 \text{ m}^3$

Page No 40, Item No. 4

PL CC (1:3:6) $1 \times 20 \times 3 \times 0.10 = 6 \text{ m}^3$

Page No 54, Item No. 4

PL CC (1:3:6) $1 \times 30 \times 3 \times 0.10 = 9 \text{ m}^3$ Total PL CC (1:3:6) area = $6 \text{ m}^3 + 6 \text{ m}^3 + 9 \text{ m}^3 = 21 \text{ m}^3$ PL CC (1:3:6) $21 \text{ m}^3 = 21 \times 0.47 \times 35.31$ (Sand Factor) = 348.50 cftPL CC (1:3:6) $21 \text{ m}^3 = 21 \times 0.89 \times 35.31$ (Bajri Factor) = 660 cft

TECHNICAL ASSISTANT
GRAM PANCHAYAT, Manjha...
(B.D.O) BHAWARNA

(31)

ग्राम पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत मंडा
विकास सचिव भवार्ना वि.ड.